राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/DMGOMS/Appeal/3251 दिनांकः 13/12/2018

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.10.2018 द्वारा खान एवं भूविज्ञान विभाग के अपीलीय न्यायालय की कार्य–प्रणाली को 01 नवम्बर, 2018 से ऑन–लाईन किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। इसी क्रम में ऑन–लाईन प्रक्रिया हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :–

1. वर्तमान में लम्बित समस्त अपीलों की दैनिक कॉज लिस्ट ऑन–लाईन प्रदर्शित की जायेगी तथा ऑन–लाईन प्रिन्ट कॉपी को ही नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा।
2. प्रत्येक कार्य दिवस पर उस दिनांक को विचारार्थ लिये गये प्रकरणों में अग्रिम क्या कार्यवाही की गई तथा उसमें अग्रिम पेशी दिनांक क्या है, उसका स्टेटस अपडेट सम्बन्धित रीडर द्वारा उसी दिनांक को किया जायेगा।
3. प्रकरण में स्थगन आदेश पारित होने अथवा अंतिम निर्णय कर दिये जाने पर स्थगन आदेश/अंतिम निर्णय आदेश की हस्ताक्षरशुदा प्रति ऑन–लाईन सम्बन्धित रीडर द्वारा अपलोड की जायेगी।
4. दिनांक 01.04.2017 से 15 दिसम्बर, 2018 तक निस्तारित समस्त प्रकरणों को ऑन–लाईन सिस्टम में अपलोड किया जायेगा तथा इसमें पारित निर्णय की स्केन कॉपी को भी ऑन–लाईन अपलोड की जायेगी। इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करना आवश्यक होगा।
5. दिनांक 15 दिसम्बर, 2018 से प्रत्येक दर्ज होने वाली नयी अपील भी अपीलकर्ता के एस.एस.ओ.आई.डी. से विभागीय वेब–साईट www.mines.rajasthan.gov.in पर ऑन–लाईन प्राप्त की जायेगी तथा इसकी हार्ड कॉपी ऑन–लाईन दर्ज करने के 15 दिवस के अंदर सम्बन्धित अपीलार्थी अथवा उसके अधिकृत अधिवक्ता/प्रतिनिधि के द्वारा मय दस्तावेजों के अपील न्यायालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. नवीन अपीलों के लिए आवश्यक समस्त शुल्क ऑन–लाईन ही जमा किये जा सकेंगे।
7. ऑन–लाईन अपील प्रार्थनापत्र में अपील मेमो, आदेश जिसके विरुद्ध अपील की गई है तथा अपीलार्थी का पहचान पत्र/सम्बन्धित अधिवक्ता का अधिकार पत्र स्केन करके अपलोड करना आवश्यक होगा।

सम्बन्धित अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (पर्यावरण एवं विकास) उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चत करायेंगे।

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)आई.ए.एस.
निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान, उदयपुर